

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनु  
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम नं. 2023/21  
मुकदमा नम्बर 07/2023

दायर दिनांक-12.01.2023

रत्नलाल दत्तक पुत्र मुरली जाति माली निवासी दरोगा वाली ढाणी वार्ड नं. 39 नवलगढ़ तहसील  
नवलगढ़ जिला झुझुनु

..... वादी

बनाम

1. बलदेव
2. रामचन्द्र
3. दिनोद पुत्रान नारायणा
4. संतोष पत्नी महावीर
5. रवि पुत्र महावीर
6. सविता पुत्री महावीर
7. सुमित्रा पुत्री महावीर
8. अनिल पुत्र महावीर
9. बन्नी पुत्र गोविन्द
10. मदन पुत्र गोविन्द
11. चिरंजी पुत्र गोविन्द
12. मुन्ना पुत्र दुर्गा
13. सुरेश पुत्र दुर्गा
14. भानीराम पुत्र दुर्गा
15. राकेश पुत्र दुर्गा
16. गुलाब पत्नी दुर्गा
17. उषा पुत्री दुर्गा
18. विवेक पुत्र बण्डीप्रसाद
19. गिरधारी पुत्र रामेश्वर
20. कान्तिलाल पुत्र रामेश्वर
21. सांवरमल पुत्र रामेश्वर
22. राजू पुत्र कजोड
23. महेश पुत्र कजोड
24. सज्जन पुत्र सूनंदरलाल
25. दिनेश पुत्र सूनंदरलाल समस्त जाति माली निवासी दरोगा वाली ढाणी वार्ड नं. 39 नवलगढ़ तहसील  
नवलगढ़ जिला झुझुनु
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड हॉल्डर तहसील नवलगढ़, जिला झुझुनु

..... प्रतिवादी

दावा - घोषणार्थ,दुरुस्ती रिकार्ड,विभाजन

प्रतिनिधत्व:-

वकील वादी- श्री सुरेश कुमार सैनी  
वकील प्रतिवादी 1 लगा. 25 - एक पक्षीय  
वकील प्रतिवादी 26- पैरो. राज



—:निर्णय:—

निर्णय दिनांक 13.05.2024

वाद वादी दिनांक 21/08/2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./24/795 दिनांक 14/03/2024 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील वादी द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव सहमति व्यक्त की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(जयसिंह)RAS

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़  
(जिला-झुझुनू)

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी )

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ  
श्री जय सिंह ( आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीएसएम न. 2023/21  
मुकदमा नम्बर 07/2023

दायर दिनांक-12.01.2023

(रतनलाल दत्तक पुत्र मुरली बनाम बलदेव वगै0)  
दावा - घोषणार्थ,दुरुस्ती रिकार्ड,विभाजन

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री जय सिंह ( आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब- मुद्दालय पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

वाद वादी दिनांक 21/08/2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी मे कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बावत् आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भूअ./24/795 दिनांक 14/03/2024 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील वादी द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव सहमति व्यक्त की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

जन.....-..... मुबलिग.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....-..... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....-.....का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 13 माह 05 सन 2024 को जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	1.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर	-
बाबत इजराय हुकमनामा	-	बाबत इजराय हुकमनामा	-
मुतफरिक मिजान	0.00	मुतफरिक मिजान	0.00